

कोर्स का हिस्सा होगा ऑपरेशन सिंदूर ताकि सेना का शौर्य पढ़ सके अगली पीढ़ियां : डिप्टी सीएम बैरवा

कोटा, (निसं)। उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। इसमें हमारी सेनाओं का पराक्रम देखा गया। एयरफोर्स और आर्मी के साथ नेवी ने भी शौर्य दिखाया। सहोदौ और हमारी सेना पर हमें नाज है।

उन्होंने दुश्मन को परास्त किया जो इतिहास बन गया। इतिहास आने वाले समय में लोग पढ़ेंगे। यह इतिहास आने वाले समय में हमारी पाठ्य पुस्तकों में भी शामिल होगा। हमारी पीढ़ियां इसको पढ़ेंगी व याद करेंगी।

मीडिया से बातचीत में बैरवा ऑपरेशन सिंदूर को पाठ्यक्रम में शामिल करने के सवाल का जवाब दे रहे थे। कोटा दौरे में डिप्टी सीएम कुन्हाडी इलाके के पार्वतीपुरम गए जहां आरटीओ इंस्पेक्टर नरेश भलवाला के निधन पर शोक जताया।

परिजनों को ढाढ़स बंधाया व परिवार के बच्चों को दुलारा उनके साथ



कोटा दौरे में डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने आरटीओ इंस्पेक्टर नरेश भलवाला के निधन उनके घर पहुंच कर परिवारजनों को सांत्वना दी है।

विधायक संदीप शर्मा और भाजपा शहर जिला अध्यक्ष राकेश जैन भी थे। मृतक इंस्पेक्टर नरेश के पिता घासीलाल ने

बैरवा से कहा कि मुझे अपने बेटे का उपचार करने का मौका भी नहीं मिला। सीधी उनकी मृत्यु की ही सूचना आई।

भाई वीरेंद्र ने कहा कि सरकार की सेवा करते हुए ही उनके भाई के साथ यह हादसा हुआ है। उन्हें शहीद का दर्जा

खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निरीक्षण किया

रामगंजमण्डी, (निसं)। खैराबाद खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ राजेन्द्र मीणा द्वारा 14 मई बुधवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र देवलीखुर्द का निरीक्षण किया गया।

उन्होंने स्वास्थ्य केन्द्र के कूलरों में लार्वा की जाँच की और कूलरों में नियमित पानी बदलने और सफाई करने के निर्देश दिये। उसके बाद उन्होंने एएनएम से परिवार कल्याण कार्यक्रम की जानकारी ली और परिवार कल्याण कार्यक्रम में होने वाले कार्यों के लिये आशा सलोगिनियो को निरन्तर जागरूक रखते हुए कार्य करवाने के लिए एएनएम को निर्देश दिए।

लेबर रूम में गते के डिब्बे और

कबाड़ को देखकर उन्होंने प्रभारी अधिकारी से नाराजगी जताई और उन्हें तुरन्त वहाँ से हटाने के लिए नर्सिंग कर्मी को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र घरावन्द के नव निर्माणाधीन भवन का अवलोकन किया। इसके पश्चात डॉ.मीणा द्वारा उप स्वास्थ्य केन्द्र उडवावा का निरीक्षण किया। वहाँ की साफ सफाई से डॉ. मीणा संतुष्ट हुए और एएनएम व सीएचओ को रिकॉर्ड संशोधन करने, ज्यादा से ज्यादा मंचरिया को स्लाइड्स बनाने के लिए प्रभारी अधिकारी डॉ आरुणिय यादव को निर्देश दिया। उन्होंने हीटवेयर कक्ष, लेबर रूम, फार्मसी कक्ष, स्टोर रूम व अन्य कक्षो को देखा।

स्वास्थ्य केन्द्र पर आने वाले

मिशन मोड में हरियालो राजस्थान के तहत नवाचार भी शामिल होंगे

कोटा, (निसं)। हरियालो राजस्थान के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष में सरकार की ओर से राजस्थान में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने आने वाले मानसून के दौरान पौधारोपण 2 करोड़ पौधे लगाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजपाल सिंह ने बताया कि कोटा जिलें में मिशन हरियालों राजस्थान के तहत 2 लाख 79 हजार पौधे लगाये जाने का लक्ष्य रखा गया है।लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु स्थानों एवं कार्यों का विभागवार चिन्हिकरण 5 मई तक किया जा चुका है।

कार्यों का समय पर किया जा सके इसके लिए 15 मई तक स्वीकृति जारी करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके है खास बात यह भी है कि स्वीकृती जारी करने के पश्चात 16 मई से 30 जून तक कार्यस्थलों पर फेनिंसंग, गड्डे, खुदाई एवं अग्रिम मृदा कार्य किये जा रहे है इसके अतिरिक्त साथी स्थलों पर पौधो की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 16 मई से 15 जुलाई का समय तय किया गया है मानसून के आरम्भ के साथ ही 1 जुलाई से सितम्बर माह तक पौधारोपण का कार्य होगा। इसके पश्चात तीन वर्षों तक पौधो के रखरखाव हेतु भी वार्षिक कार्ययोजना तैयार की गई है। राजपाल सिंह ने बताया

कि लक्ष्यानुसार पौधारोपण के कार्य चारागाह, बंजड़ भूमि, सार्वजनिक भूमि सड़क, नहर व नदी तट के किनारों में पौधारोपण के कार्य पहाड़ी क्षेत्रों, राजकीय परिसरों, तालाबों के किनारे वृक्ष कुंज एवं व उचित व्यक्तिगत लाभार्थियों द्वारा भी सुरक्षित स्थानों का चयन कर पौधारोपण किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि कोटा जिला स्थित ग्राम पंचायत खजुरी में 700 बोधा क्षेत्र में ओपेथिय पौधे लगाने के लिए कार्ययोजना तैयार की जा रही है इसके अतिरिक्त 4 हजार 500 पौधे सहजन के पौधें का ओपेथिय महत्व पता लगेँ इसके उपयोग के लिए भी बोर्ड लगाकर लोगों को इसके महत्व से अवगत करवाया जा रहा है।

मिलना चाहिए। इस संबंध में परिजनों ने मांग पत्र भी डिप्टी सीएम बैरवा को सौंपा।

बैरवा ने नरेश के परिजनों से कहा कि सरकार यथासंभव मदद करेगी। मामले में लापरवाही या गैर जिम्मेदारों पर कार्रवाई करेंगे।

डिप्टी सीएम बैरवा ने कहा कि आरटीओ इंस्पेक्टर नरेश भलवाला के साथ जिसने घटना को अंजाम दिया उसे गिरफ्तार कर लिया था। परिवार को सरकार व विभाग से राहत दिलाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। ऐसे हादसे आगे नहीं हो इसके लिए हम इंतजाम कर रहे हैं।

परिवार के नरेश को शहीद के दर्जे की मांग पर मीडिया के सवाल पर बैरवा ने कहा कि सरकार के नियमों में जो है हम पूरी करवाने को कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को मामले में अवगत करा दिया है। उन्होंने आश्वस्त किया कि्या कि जो भी राहत दे सकते हैं उपलब्ध कराएँगे।

कक्षा 10वीं एवं 12वीं के परिणामों में एमपीएस ने परचम लहराया

कोटा, (निसं)। श्रीनाथपुरम स्थित माहेश्वरी कलेज स्कूल (एमपीएस) में सी.बी.एस.ई. द्वारा घोषित कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम 93.81 प्रतिशत व कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम शत-प्रतिशत रहा। स्कूल के कक्षा 12 (विज्ञान वर्ग) में छात्रा गौरी चार्णोय (पी.सी.बी.) ने 93.80 प्रतिशत अंक तथा छात्र आदित्य बरनवाल (पी.सी.एम.) ने 93.00 प्रतिशत अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त किया।

वाणिज्य वर्ग में मनुल माहेश्वरी ने 93.40 प्रतिशत अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। कला वर्ग में लक्ष्मी नागर ने 91.20 प्रतिशत अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान अर्जित किया। (विज्ञान वर्ग) में गणित विषय में लक्षिता हेड्डा ने 100 में से 100 अंक प्राप्त कर कीर्तिमान स्थापित किया। कक्षा 10वीं में शुभम सिंह परिहार ने 93.20 प्रतिशत अंक प्राप्त कर स्कूल में प्रथम स्थान, शिवांश शर्मा ने 91.80 प्रतिशत अंक प्राप्त कर द्वितीय स्थान तथा अंशिका माहेश्वरी ने 91.60 प्रतिशत अंको से तृतीय स्थान अर्जित कर विद्यालय का नाम गौरवान्वित किया।

हार्ट अटैक से टीचर की मौत

छबड़ा (निसं)। हार्ट अटैक के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। छबड़ा के बरोनी के उच्च प्राथमिक स्कूल में कार्यरत 42 वर्षीय सरकारी शिक्षक बुजेश यादव का हार्ट अटैक से निधन हो गया। इस घटना से शिक्षकों में शोक की लहर दौड़ गई। जानकारी के अनुसार बारां निवासी बुजेश यादव को अग्रनक सीने में दर्द की शिकायत हुई। परिजन उपचार के लिए उन्हें कोटा चिकित्सालय लेकर गए जहां उपचार के दौरान चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिजनों के अनुसार बुजेश यादव पूरी तरह स्वस्थ थे और उन्हें पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं थी। कम उम्र में उनकी इस तरह अचानक मृत्यु से सभी स्तब्ध है।

चिकित्सकों का कहना है कि आधुनिक जीवनशैली में काम का अत्यधिक दबाव, नींद की कमी और फिजिकल फिटनेस में कमी हार्ट अटैक का बड़ा कारण बन रहे हैं।

पश्चिम मध्य रेल

वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियन्ता, विद्युत लोको शेड, तुगलकाबाद नई दिल्ली-44, द्वारा भारत के राष्ट्रपति के लिये एवं उनकी ओर से निम्नलिखित कार्य हेतु ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं जिनकी बंद होने की तिथि समय क्रमशः 02.06.2025 है। निविदाकार बंद होने की तिथि व समय तक अपनी मूल/संशोधित अपनी निविदा आफ्नर जमा कर सकते हैं। मैन्चुरल निविदा आफ्नर स्वीकार्य नहीं है। विवरण इस प्रकार है- :निविदा सं.: टीकेडी-09-2025, कार्य का नाम व स्वरूप -”घ्री फेज लोकोमोटिव के कैब में एयर कंडीशनिंग का रेगुलिटिफिकेट एवं कैब में थर्मल इंसुलेशन का प्रावधान”, मात्रा: शेड्यूल ऑफ़ रेट्स के अनुसार, अनुमानित लागत (रुमै): ₹ 8,25,63,304.04, निविदा प्रपत्र का मूल्य (रुमै): शून्य, बयाना राशि (रु मै): ₹ 5,62,800.00, समय अवधि: 18 माह, निविदा जमा करने की अंतिम तिथि/समय: 02.06.2025, 15:30 बजे, नोट: 1. ई-निविदा प्रपत्र एवं ई-निविदा से सम्बंधित पूर्ण जानकारी वेबसाइट www.irps.gov.in पोर्टल पर उपलब्ध है। 2. इस ई-टेंडर के लिए कोई मैन्चुरल ऑफ़र मान्य नहीं है तथा ऐसा कोई मैन्चुरल ऑफ़र प्राप्त होता है तो भी वह मान्य नहीं होगा। 3. इस टेंडर से सम्बंधित कोई आवश्यक संशोधन यदि जरूरी हो तो वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जायेगा, जिसे टेंडर खुलने के दिन तक देखा जा सकता है। 4. टेंडर(निविदादाता) के पास क्वांस-III डिजिटल पंजीकरण सर्टिफिकेट , तथा IREPS पोर्टल पर सहीकृत होना आवश्यक है।
वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता, टी.आर.एस. विद्युत लोको शेड, तुगलकाबाद नई दिल्ली-44
संख्य भारत अभियान/ एक कदम स्वच्छता की ओर

खोया पाया

मकान संख्या 1 क 11 टीएसफं कालोनी केशवपुरा कोटा का राज, हाउसिंग बोर्ड कोटा द्वारा जारी मूल अदेय प्रमाण पत्र आर.के. पुरम से स्वामी विवेकानन्द नगर के बीच गिर गया है कुपया निम्न पत्र पर पहुँचाने का कष्ट करें।
मोहित मेहरा, 11/14 स्वामी विवेकानन्द नगर कोटा, मो. 8955588490

सार्वजनिक सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अनिल कुमार शर्मा पुत्र विरपी लाल शर्मा खरीदशुद्ध सम्पत्ति मकान नं. 3-आई-81 महावीर नगर विस्तार योजना को में स्थित है। अनिल कुमार शर्मा के द्वारा एचबीएस लि. से खरा लिये जाा था तथा उक्त सम्पत्ति के समस्त असल दस्तावेज एचबीएससी बैंक लि. में रहन कर रहे हैं। अनिल कुमार शर्मा का दिनांक 01.10.24 को देहान्त हो चुका है। अनिल कुमार शर्मा की पत्नी श्रीमती माया शर्मा ने जापर किया है कि उनके अतिरिक्त स्व. अनिल कुमार शर्मा के माता श्रीमती कानिा बाई, पुत्रियां नेहा शर्मा, निधि शर्मा, पुत्र विहान शर्मा व अभिषेक शर्मा ही विधिक वारिसन हैं, इनके अतिरिक्त ओर अन्य कोई विधिक वारिसन नहीं है। उक्त सम्पत्ति के चेटे लिए हुए ऋण की पूर्ण अदायगी एचबीएससी बैंक लि. को की जा चुकी है, स्व. अनिल कुमार शर्मा की पत्नी श्रीमती माया शर्मा उक्त सम्पत्ति के समस्त असल दस्तावेजों को प्राप्त करना चाहती है। यदि इस संबंध में किसी भी तीरग व्यक्ति/संस्था/कम्पनी को किसी प्रकार की आपत्ति हो तो म्य दस्तावेज सूचना प्रकाशन की तिथि से 7 दिवस की अवधि में अग्रोहस्ताक्षरता या एचबीएससी बैंक लि. राखा विधान नगर कोटा के समक्ष लिखित अप्पति मय दस्तावेज प्रस्तुत करें। बाद गुजरने मियाद सूचना कोई भी आपत्ति मान्य एवं प्रभावी नहीं होगी।
दिनांक : 14.05.2025
संदीप जैन एडवोकेट
583-ए, तलपण्डी, कोटा
मो. 9829180432

कार्यालय नगर पालिका रावतभाटा, जिला -चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक:-नगर/पुबि/2025-26/591	आपत्ति सूचना	दिनांक:-14.05.25
--------------------------------------	---------------------	-------------------------

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री ताराचन्द पिता स्व. श्री रतनलाल निवासी रावतभाटा के द्वारा इस कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर नगर पालिका रावतभाटा की श्रीगणेश नगर अवासीय योजना के पृष्ठ संख्या 149 अंग्रेजी (अ) जो श्रीमती सुनीला वर्मा पत्नी श्री जगन्नाथ वर्मा निवासी कोटा के जयिरे लारी दिनांक 31.12.2007 अर्न्तगत आवंटित किया गया था जिसका आवंटो के पक्ष में लीज डीड क्रमांक 768 दिनांक 17.04.2008 से जारी किया गया है व पंजीवन दिनांक 17.06.2008 को करवाया गया है। इसके उपरान्त आवंटो ने पालिका से बिना विक्रय अनुमति प्राप्त कर उक्त पृष्ठ को श्री रतनलाल पिता श्री नानुराम धोबी निवासी कोटा डेम जिला बूंदी हाल मुकाम रावतभाटा को जयिरे पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 21.04.2010 से विक्रय किया गया। जिसका नामान्तरण पालिका रिकोर्ड में स्वीकृति पत्रांक 3315 दिनांक 23.11.2012 से दर्ज किया गया है, उक्त नामान्तरिती श्री रतनलाल पिता श्री नानुराम धोबी निवासी कोटा डेम जिला बूंदी हाल मुकाम रावतभाटा की मृत्यु दिनांक 01.07.2013 को हो जाने के कारण इस निमित्त पृष्ठ का नामान्तरण/हस्तान्तरण आवेदक द्वारा नैसर्गिक उत्तराधिकारी होने के कारण अपने नाम चला गया है, जिस हेतु आवेदक (मृतक का पुत्र) द्वारा उक्त पृष्ठ के नामान्तरण/हस्तान्तरण हेतु आवेदन पत्र मय शपथ पत्र एवं अन्य जायिदा वारिसान द्वारा आवेदक के पक्ष में किए गए पंजीकृत हकपत्र दिनांक 01.04.2025 को स्व: प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है।

अत: इस पृष्ठ का उत्तराधिकारी नामान्तरण/हस्तान्तरण उपरोक्त प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर श्री ताराचन्द पिता स्व. श्री रतनलाल निवासी रावतभाटा के नाम पर पालिका द्वारा किये जाने में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/विभाग/बैंक आदि को कोई ख़तर या आपत्ति हो तो वो इस आपत्ति सूचना प्रकाशन से 07 दिवस के अन्दर मियाद में अपनी आपत्ति इस कार्यालय में लिखित में मय प्रमाणित साक्ष्यों के साथ प्रस्तुत कर सकते है अन्यथा बाद मियाद प्राप्त किसी प्रकार की कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

सूचित रहे।

अधिशायी अधिकारी नगर पालिका रावतभाटा

राजस्थान आवासन मण्डल खण्ड कोटा		
क्रमांक 413	जाहिर आम सूचना	दिनांक - 14.5.25
आवास संख्या 3-एच-3 विकास नगर बूंदी का आवेदन मण्डल द्वारा श्री शिवनारायण सिंह पुत्र श्री जगन्नाथ सिंह को किया गया था। इस आवास का निर्माणनिकरण श्री बाबू लाल जैन पुत्र श्री धनपाल जैन के नाम दिनांक 21.12.1994 को किया गया। इस आवास का पंजीवन श्री बाबू लाल जैन पुत्र श्री धनपाललाल जैन द्वारा दिनांक 15.02.1995 का अपने पक्ष में करवाया गया। मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्री बाबू लाल जैन पुत्र श्री धनपाललाल जैन की मृत्यु दिनांक 21.01.2025 को एवं इसकी पत्नी श्रीमती रोजन बाई की मृत्यु दिनांक 13.10.2006 को हो चुकी है। मृत्यु स्व. श्री बाबू लाल जैन द्वारा अपने जीवनकाल में अपने दत्तक पुत्र श्री पंकज जैन को दत्तक ग्रहण विलेख (गोदनामा) अर्थातित कर दिनांक 19.06.2007 को दत्तक ग्रहण किया गया। श्रीमती कनकलता जैन पत्नी श्री भानु कुमार जैन पुत्री स्व.श्री बाबू लाल जैन एवं श्री पंकज जैन पुत्र श्री भानु कुमार जैन द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 3-एच-3 विकास नगर बूंदी को उक्त आवास का हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बँकप पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं दत्तक ग्रहण विलेख (गोदनामा) के आधार पर संयुक्त रूप से करने हेतु आवेदन किया गया। अतः उक्त आवास का हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, एवं दत्तक ग्रहण विलेख (गोदनामा) के आधार पर श्रीमती कनकलता जैन पत्नी श्री भानु कुमार जैन पुत्री स्व.श्री बाबू लाल जैन एवं श्री पंकज जैन पुत्री श्री भानु कुमार जैन के नाम संयुक्त रूप करने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास का हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन श्रीमती की व्यक्तिगत जैन पत्नी श्री भानु कुमार जैन पुत्री स्व.श्री बाबू लाल जैन एवं श्री पंकज जैन पुत्र श्री भानु कुमार जैन के नाम संयुक्त रूप से कर दिया जावेगा।		
आवासीय अभियन्ता राजस्थान आवासन मण्डल खण्ड कोटा		

कार्यालय नगर पालिका रावतभाटा, जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)		
क्रमांक:-नगर/पुबि/2025-26/588	आपत्ति आमंत्रण सूचना	दिनांक:-14.5.2025
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्रीमती सरोज मालत पत्नी श्री नवीन कुमार धाकड़ निवासी रामगंजमण्डी (कोटा) ने इस कार्यालय में ऑनलाईन आवेदन मय शपथ पत्र एवं वांछित दस्तावेजों के साथ: प्रमाणित छायाप्रतियों को ऑनलाईन अपलोड कर नगर पालिका रावतभाटा की श्रीगणेश नगर अवाससीय योजना के पृष्ठड संख्या 596 अंग्रे (स) सांख 30x60 क्षेत्रफल 1800 वर्गफुट अर्थात् 167.29 वर्गमीटर का नामान्तरण/हस्तान्तरण अपने नाम पालिका रिकॉर्ड में दर्ज करने हेतु निवेदन किया है।		
प्रस्तुत/ऑनलाईन अपलोड दस्तावेज एवं पत्रावली अनुसार यह पृष्ठड पालिका द्वारा मिलामी दिनांक 01.01.2011 अर्न्तगत श्री फूलचन्द मीणा पुत्र स्व. श्री सोहनलाल निवासी निवासी रावतभाटा को विक्रय किया गया था, जिसकी सम्पूर्ण रशि एवं एकमुस्त 10 बरों की लीज राशि जमा होने के उपरान्त दिनांक के पक्ष में लीज डीड क्रमांक 60 दिनांक 26.05.2011 व पंजीवन दिनांक 26.05.2011 को करवाया गया तथा इसके उपरान्त होने ने पालिका से विक्रय अनुमति प्राप्त कर उक्त पृष्ठड को जयिरे पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 27.07.2016 से श्री शशिबान्धन मूल पुत्र श्री रंजीत वर्मा निवासी रावतभाटा को विक्रय किया गया, जिसका नामान्तरण पालिका रिकॉर्ड में स्वीकृति पत्रांक 3241 दिनांक 09.11.2016 से दर्ज किया गया तथा इसके उपरान्त इस नामान्तरिती ने पालिका से विक्रय अनुमति प्राप्त कर उक्त पृष्ठड को श्रीमती नितिला मलिक पत्नी श्री जितेन्द्र मलिक निवासी रावतभाटा को जयिरे पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 22.09.2019 से विक्रय किया गया, जिसका नामान्तरण पालिका रिकॉर्ड में स्वीकृति पत्रांक 3941 दिनांक 25.11.2021 से दर्ज किया गया है। इसके उपरान्त इस नामान्तरिती ने उक्त पृष्ठड को आवेदक श्री सरोज मालत पत्नी श्री नवीन कुमार धाकड़ निवासी रामगंजमण्डी (कोटा) को जयिरे पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 27.01.2025 से विक्रय किया गया। जिसके आधार पर आवेदक के नाम पृष्ठड का नामान्तरण/हस्तान्तरण नियमानुसार दर्ज किया जाना प्रस्तावित है।		
अतः उक्त पृष्ठड का नामान्तरण पालिका रिकॉर्ड में आवेदक के नाम दर्ज करने पर किसी भी व्यक्ति/विभाग/संस्था/बैंक इत्यादी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति/ख़तर हो, तो इस प्रकाशन से 07 (सात) दिवस के भीतर-भीतर अग्रोहस्ताक्षरता के कार्यालय में मय साक्ष्य पत्र के अपनी आपत्ति/उजबारी प्रस्तुत कर सकते है। आपत्ति अवधि समाप्त होने के पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी। सूचित रहे।		
(मुकेश नागर) अधिशायी अधिकारी नगर पालिका रावतभाटा		

क/व/विभा/सं/सर्वे/सर्वे/सर्वे को किसी प्रकार को कोई आपत्ति/उत्तर/प्रतिक्रिया/प्रतिक

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा		
क्रमांक:-305	नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना	दिनांक:- 14.05.2025
कार्यालय नगर विकास न्यास कोटा द्वारा भूखण्ड/आवास संख्या-09 देवली अथ खसरा नं. 116, 117/1540 योजना में आवेदन न्यास के दिनांक 12.04.2016 को श्री सुनील शर्मा पुत्र स्व.श्री दर्शानंद शर्मा व श्रीमती प्रीरानी वेमा स्व.श्री दर्शानंद शर्मा व श्रीमती सविता शर्मा पत्नी स्व.प्रमनाथ शर्मा व रिया शर्मा पुत्र स्व.प्रमनाथ शर्मा व सिकन्दर शर्मा ना.जा.पुत्र स्व.प्रमनाथ शर्मा वली माता सविता शर्मा के नाम से आवेदन किया गया था। आवंटो द्वारा उक्त भूखण्ड का पट्टा क्रमांक 3301 अथवा नाम निवासी पुत्रो स्व.प्रमनाथ शर्मा व सिकन्दर शर्मा पुत्र स्व.प्रमनाथ शर्मा की विक्रय किया गया है। जिसके आधार पर उक्त भूखण्ड को विक्रय पत्र दिनांक 22.05.2024 को श्री राकेश कुमार मीणा पुत्र श्री रामकण्ठ मीणा को विक्रय कर दिया गया है। अतः क्रमांक 3301 भूखण्ड/आवास अपने हस्तान्तरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।		
अतः जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को कोई ख़तर हो तो विधिक वारि होने के 7 दिवस के अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त भूखण्ड/आवास संख्या 9 देवली अथ खसरा नं. 116, 117/1540 का नाम हस्तान्तरण श्री राकेश कुमार मीणा पुत्र श्री रामकण्ठ मीणा को दत्तक स्वीकृत किया कर दी जावेगी।		
		उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-एफ-15/क.भू.क./2025/235

विज्ञापित

दिनांक:-14.5.2025

सर्वे साधारण को जयें विज्ञापित सूचित किया जाता है कि ग्राम कोटडी योजना जय हिन्द नगर खसरा नं. 162 में स्थित भूखण्ड संख्या 41 के नाम हस्तान्तरण करने हेतु न्यास कार्यालय में श्री श्रीधर पुत्र स्व. श्री कमरउज जमा निवासी-मकान नं. 147 न्यू गोपाल विहार पुलिस लाइन सदा राज, द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त भूखण्ड का पट्टा क्रमांक 3230 दिनांक 15.07.2004 को श्रीमती राफिया कनर पतिन स्व.श्री कमरउ जमा के पक्ष में जारी किया गया था। आवेदक द्वारा संलग्न मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार पट्टेधारी की मृत्यु दिनांक 08.02.2023 को हो चुकी है। पट्टेधारी की मृत्यु उपरान्त पट्टेधारी के विधिक वारिसन इस कनर पुत्री श्री स्व.कमरउ जमा की खुर्च मृत्यु स्व. श्री कमरउज जमा के पक्ष में जयें रंजि, हकपत्र पत्र दिनांक 05.08.2024 को किया गया है। जिसके आधार पर आवेदको द्वारा अपने पक्ष में नाम हस्तान्तरण चला गया है।

अतः श्री धुरम पुत्र स्व.श्री कमरउज जमा के नाम हस्तान्तरण जारी किए जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योग कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अग्रोहस्ताक्षरता की प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नहीं होगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-एफ-15/क.भू.क./2025/235

विज्ञापित

दिनांक:-14.5.2025

सर्वे साधारण को जयें विज्ञापित सूचित किया जाता है कि ग्राम कोटडी योजना जय हिन्द नगर खसरा नं. 185 में स्थित भूखण्ड संख्या 41 के नाम हस्तान्तरण करने हेतु न्यास कार्यालय में श्रीमती रेखा कुमारी पतिन स्व. श्री मोहन लाल एवं श्री पिप्लु सुनारिया पुत्र स्व. श्री मोहन लाल निवासी-41 जय हिन्द नगर, पुलिस लाइन कोटा राज.द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त भूखण्ड का पट्टा क्रमांक 3585 दिनांक 19.03.2005 को श्री मोहन लाल सुनारिया पुत्र श्री हीरा लाल के पक्ष में जारी किया गया था। आवेदक द्वारा संलग्न मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार पट्टेधारी की मृत्यु दिनांक 21.10.2024 को हो चुकी है। पट्टेधारी की मृत्यु उपरान्त पट्टेधारी के विधिक वारिसन 1. सुनारिया सुनारिया (पुत्री) 2 शुभनी सुनारिया (पुत्री) 3. हिमानी सुनारिया (पुत्री) 4 सुष्टि सुनारिया (पुत्री) द्वारा श्रीमती रेखा कुमारी (पतिन) एवं श्री पिप्लु सुनारिया (पुत्र) के पक्ष में जयें रंजि, हक त्पत्र पत्र दिनांक 04.03.2025 को किया गया है। जिसके आधार पर आवेदको द्वारा अपने पक्ष में नाम हस्तान्तरण चला गया है।

अतः श्रीमती रेखा कुमारी पतिन स्व. श्री मोहन लाल एवं श्री पिप्लु सुनारिया पुत्र स्व. श्री मोहन लाल के नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योग कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अग्रोहस्ताक्षरता की प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नहीं होगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

तिरंगे के नीचे एकजुट देश ने पाकिस्तान परस्त आतंकवाद को जवाब दिया : ऊर्जा मंत्री

कोटा, (निसं)। ऊ